



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-182

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 264866 दिनांक 03/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ramlal Choudhary S/o RAM JIVAN एवं Kalu S/o JIVAN	श्री रामजीवन पुत्र श्री नाथू	S-1248	120.00 SQ. METER	JDA	SEZ KHATEDAR (VILLAGE BAGRU KHURD) Sector/Block-	Name Transfer	सेज पुनर्वास योजना ग्राम बगरूखुर्द के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-1248 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर की लीजडीड क्रमांक 3379 दिनांक 15.03.2013 को श्री रामजीवन पुत्र श्री नाथू के पक्ष में जारी की गई थी। आवेदक द्वारा अपलोड मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार श्री रामजीवन पुत्र श्री नाथूराम की मृत्यु दिनांक 19.09.2019 को हो चुका है। आवेदक प्रस्तुत शपथ अनुसार श्री रामजीवन पुत्र श्री नाथूराम के वारिस (1) रामलाल चौधरी (पुत्र) (2) कालूराम (पुत्र) (3) मनभर देवी (पुत्री) (4) लक्ष्मी देवी



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

है। उक्त वारिसान में से (3) मनभर देवी (पुत्री) (4) लक्ष्मी देवी द्वारा उक्त भूखण्ड पर अपने हिस्से का हकत्याग जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र क्रमांक 202003025100 539 दिनांक 12.02.2020 से श्री कालू पुत्र श्री जीवण एवं श्री रामलाल चौधरी पुत्र रामजीवण के हक में कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ramlal Choudhary S/o RAM JIVAN एवं Kalu S/o JIVAN को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |